

# सबूतों का भार: आईसीजे क्यों संभवतः इज़राइल को नरसंहार का दोषी ठहराएगा - और जर्मनी के लिए इसका क्या मतलब है

अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) अपने इतिहास के एक निर्णायक क्षण में खड़ी है। **दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल** मामले में, अदालत को यह तय करना है कि गाजा पट्टी में इज़राइल की कार्रवाइयाँ 1948 के नरसंहार कन्वेंशन का उल्लंघन हैं या नहीं। यदि वह इज़राइल को दोषी ठहराती है, तो एक कानूनी और नैतिक भूकंप आएगा - जो लगभग निश्चित रूप से **निकारागुआ बनाम जर्मनी** के समानांतर मामले का परिणाम तय करेगा, जिसमें जर्मनी पर उसी नरसंहार में सहायता और उकसाने का आरोप है।

लेकिन यदि अदालत **इज़राइल को बरी कर दे**, तो परिणाम उतने ही ऐतिहासिक होंगे - हालांकि अंधेरे दिशा में। आईसीजे को विस्तृत रूप से समझाना होगा कि नरसंहार पर विशाल और बढ़ते हुए सबूतों का ढेर, पूर्व निर्णय और विशेषज्ञ सहमति **इस मामले में लागू क्यों नहीं होती**। यह स्पष्टीकरण न केवल लंबा होना चाहिए, बल्कि असाधारण - वास्तव में **नरसंहार न्यायशास्त्र के दशकों को फिर से लिखना** ताकि एक अभूतपूर्व अपवाद बनाया जा सके। संक्षेप में, **इज़राइल की कार्रवाइयाँ, उसके अधिकारियों के बयान और आईसीजे के आदेशों की निरंतर अवज्ञा ने अदालत को कोई विकल्प नहीं छोड़ा** सिवाय नरसंहार कन्वेंशन को बनाए रखने के - और अपराधी तथा उसके सहायक दोनों को जवाबदेह ठहराने के।

## कानूनी मानक: नरसंहार कन्वेंशन का अनुच्छेद II

1948 के नरसंहार कन्वेंशन के अनुच्छेद II के तहत, नरसंहार को **राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किए गए कार्य** के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें शामिल हैं:

- समूह के सदस्यों की हत्या,
- गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाना,
- जानबूझकर जीवन की ऐसी स्थितियाँ थोपना जो समूह के भौतिक विनाश की ओर ले जाएँ,
- जन्मों को रोकना, या
- बच्चों का बलपूर्वक स्थानांतरण।

इरादा (**dolus specialis**) वह है जो नरसंहार को अन्य अपराधों से अलग करता है। आईसीजे, रवांडा और पूर्व यूगोस्लाविया के ट्रिब्यूनल्स के साथ, लंबे समय से स्वीकार करता रहा है कि **इरादे को "व्यवहार के पैटर्न" से अनुमानित किया जा सकता है**, खासकर जब उच्च पदस्थ अधिकारी सीधे इरादे के बयान देते हैं। (देखें: **क्रिस्टिच, अकायेसु, बोस्निया बनाम सर्बिया**।)

## इज़राइल की प्रलेखित कार्रवाइयाँ: डिज़ाइन द्वारा विनाश

अब एक विशाल और बढ़ता हुआ रिकॉर्ड मौजूद है - संयुक्त राष्ट्र निकायों, एनजीओ, मीडिया जाँचों और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा संकलित - जो दिखाता है कि गाजा में इज़राइल का सैन्य अभियान शामिल करता है:

- नागरिकों की व्यापक हत्या, जिसमें दसियों हज़ार महिलाएँ और बच्चे,
- अस्पतालों, स्कूलों और यूएन इंडे के तहत शरणार्थी आश्रयों का विनाश,
- जल अवसंरचना और अलवणीकरण संयंत्रों का विध्वंस,
- भोजन, ईंधन और मानवीय सहायता की व्यवस्थित बाधा, जिससे भुखमरी हो रही है,
- बड़े पैमाने पर विस्थापन, गाजा को "अजीवनीय क्षेत्र" में बदलना,

- घेराबंदी की रणनीतियाँ और भुखमरी को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल।

ये अलग-थलग अतिरेक या संपार्श्विक क्षति नहीं हैं। वे **सुसंगत और निरंतर अभियान** को दर्शाते हैं जो जीवन के मूल तत्वों को निशाना बनाता है – नरसंहार कन्वेंशन के अनुच्छेद II(c) के अनुरूप: **“समूह के विनाश की गणना की गई जीवन स्थितियाँ।”**

## इरादे के बयान: गैलेंट, बेन ग्विर, काट्ज़ और अन्य

समान रूप से निंदनीय हैं उच्चतम स्तर के इज़राइली अधिकारियों द्वारा नरसंहार इरादे के सार्वजनिक बयान, जिनमें शामिल हैं:

- **रक्षा मंत्री योआव गैलेंट**, जिन्होंने गाजा की “पूर्ण घेराबंदी” की घोषणा की, कहा: **“कोई बिजली, कोई भोजन, कोई ईंधन। हम मानव पशुओं से लड़ रहे हैं।”**
- **राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर**, जिन्होंने गाजा और वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों की **“प्रवास को प्रोत्साहित करने”** की खुलकर वकालत की।
- **ऊर्जा मंत्री इसराइल काट्ज़**, जिन्होंने कहा: **“पानी या बिजली चालू नहीं की जाएगी। मानवीय सहायता की अनुमति नहीं दी जाएगी।”**

ये हाशिए की आवाज़ें नहीं हैं। ये आधिकारिक राज्य प्रतिनिधि हैं, और उनके बयान नीति में लागू किए गए हैं। आईसीजे और आईसीटीवाई के मौजूदा पूर्व निर्णयों के तहत, **ऐसे स्पष्ट इरादे के बयान नरसंहार इरादे के मजबूत सबूत के रूप में स्वीकार किए गए हैं**, खासकर जब विनाश के समन्वित अभियान के साथ जोड़ा जाए।

## आईसीजे के अंतरिम उपाय: नरसंहार पहले से ही “संभाव्य”

जनवरी 2024 में, आईसीजे ने **दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल** में अंतरिम उपाय जारी किए, निष्कर्ष निकाला कि **दक्षिण अफ्रीका का नरसंहार दावा संभाव्य था**। अदालत ने इज़राइल को निर्देश दिया:

- नरसंहार कार्यों को रोकना,
- मानवीय सहायता की अनुमति देना,
- उकसावे को दंडित करना,
- और एक महीने के भीतर रिपोर्ट करना।

इज़राइल ने **इन उपायों का पालन नहीं किया**। सहायता अभी भी बाधित है, नागरिक पीड़ा बढ़ गई है, और उकसावा बिना दंडित रहा है। यह सिर्फ अवज्ञा से अधिक है – यह संभवतः **नरसंहार इरादे की मौन स्वीकारोक्ति** है।

अंतरराष्ट्रीय कानून में, दुनिया की सर्वोच्च अदालत की आधिकारिक चेतावनी के बाद आचरण बदलने में विफलता **जोखिम की जानकारी** और **फिर भी आगे बढ़ने की इच्छा** का संकेत देती है। यह संभाव्य जोखिम को इरादे का विश्वसनीय सबूत बना देता है।

## पूर्व निर्णय की समस्या: यदि अदालत इसे छोड़ दे तो क्या?

यदि आईसीजे अंततः निर्णय लेती है कि इज़राइल ने **नरसंहार नहीं किया**, तो उसे समझाना होगा:

- क्यों **बोस्निया, रवांडा और म्यांमार** में नरसंहार सीमा पार करने वाले कार्य और इरादा फिलिस्तीनियों के खिलाफ नहीं गिने जाते,
- क्यों **उच्च अधिकारियों के स्पष्ट बयान** पूर्व पूर्व निर्णयों से मेल खाने के बावजूद नजरअंदाज किए जाएँ,
- क्यों **भुखमरी, जीवन-निर्वाह अवसंरचना का विनाश और बड़े पैमाने पर मौत** नरसंहार नीति साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं।

ऐसा फैसला न केवल **कानूनी दोहरा मानक** बनाएगा, बल्कि **अंतरराष्ट्रीय कानून की विश्वसनीयता को चकनाचूर कर देगा**। और इस अपवाद को उचित ठहराने के लिए, अदालत को अपनी ही न्यायशास्त्र से हटना पड़ेगा और संभवतः **अपने इतिहास का सबसे लंबा मत** जारी करना पड़ेगा।

## निकारागुआ बनाम जर्मनी: अगला डोमिनो

यदि आईसीजे इज़राइल को नरसंहार का दोषी ठहराती है, तो **मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता और राजनयिक रक्षक के रूप में जर्मनी की भूमिका** उसे अगला सबसे संभावित राज्य बनाती है जिसे उल्लंघन में पाया जाएगा। जर्मनी ने:

- गाजा हमले के दौरान हथियार आपूर्ति की,
- आईसीजे में इज़राइल का बचाव किया,
- संयुक्त राष्ट्र और एनजीओ चेतावनियों को नजरअंदाज किया,
- और आंतरिक असहमति को दबाया।

यदि इज़राइल दोषी है, तो जर्मनी का भौतिक और राजनीतिक समर्थन **नरसंहार में सहायता और उकसाने** की आवश्यकताओं को अनुच्छेद III(e) के तहत पूरा कर सकता है। **निकारागुआ बनाम जर्मनी** का मामला इस प्रकार **दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल** के परिणाम पर सीधे निर्भर करता है।

## निष्कर्ष: अवज्ञा पुष्टिकरण के रूप में

आईसीजे की स्थापना 20वीं सदी के अपराधों को 21वीं सदी में दोहराने से रोकने के लिए की गई थी। गाजा में इज़राइल की कार्रवाइयाँ और **आईसीजे के अंतरिम उपायों का पालन न करना** अब अदालत को ऐसी स्थिति में डालते हैं जहाँ निष्क्रियता का कार्य जितना ही परिणामी होगा।

ऐसी कार्रवाइयों को जारी रखते हुए **चेतावनी के बाद** कि वे नरसंहार हो सकती हैं, इज़राइल ने न केवल कानूनी सीमा का परीक्षण किया – बल्कि **उसी इरादे की पुष्टि की हो सकती है** जो नरसंहार को अभियोज्य बनाता है।

यदि आईसीजे नरसंहार कन्वेंशन की अखंडता बनाए रखना चाहती है, तो उसे निर्णायक रूप से जवाब देना होगा। इससे कम कुछ भी न केवल कन्वेंशन के उद्देश्य को धोखा देगा, बल्कि प्रभावी रूप से घोषणा करेगा कि कुछ राज्य बस **कानून से ऊपर** हैं।

और यदि आईसीजे माफ कर दे या खारिज कर दे जो इतने सारे विश्वसनीय विशेषज्ञों और संस्थानों ने पहले ही नरसंहार का पाठ्यपुस्तक मामला मान लिया है, तो वह केवल फिलिस्तीन को विफल नहीं करेगी। वह खुद को विफल करेगी। वह नरसंहार कन्वेंशन को राजनीतिक उपकरण और अंतरराष्ट्रीय कानून को प्रदर्शन में बदल देगी। अदालत शारीरिक रूप से ध्वस्त नहीं की जा सकती, लेकिन वह **अपनी ही विश्वसनीयता को ध्वस्त कर देगी**।

यदि आईसीजे इज़राइल को इससे बच निकलने देती है, तो दुनिया अदालत को नहीं छोड़ेगी। **अदालत दुनिया को छोड़ देगी**।